

5/10/18

पत्रावली प्रस्तुत/पी. ओ साहब अन्य  
कार्यो में व्यस्त होने/मुख्यालय से बाहर  
होने/चुनाव कार्यों में व्यस्त/ लोक अदालत  
केंद्र में व्यस्त होने से पत्रावली  
दिनांक... 7/12/18 को पेश हो।

7/12/18

पत्रावली प्रस्तुत/पी. ओ साहब अन्य  
कार्यो में व्यस्त होने/मुख्यालय से बाहर  
होने/चुनाव कार्यों में व्यस्त/ लोक अदालत  
केंद्र में व्यस्त होने से पत्रावली  
दिनांक... 25/11/19 को पेश हो।

25/11/19

Mukh  
Ness  
AR

पत्रावली प्रस्तुत। प्राथी वकील उपस्थित।  
प्राथी के वकील श्री गोरखचन्द्र के द्वारा  
251'A' RT Act नोटिस कर निर्दिष्ट  
किया कि पत्रकारों के मध्य संचार  
आविज्ञान होने से आपकी समझाईश के  
राष्ट्र की समझा का समझा कर लिया है।  
अतः उक्त आप को न्यायालय में नहीं  
चलाना चाहता हूँ। अतः उक्त आप जद्वि  
नोटिस खारिज करता हूँ, जिसका सुना गया।  
अतः प्राथी पर 251'A' RT Act परितः  
प्राथी वकील नोटिस के खारिज किया जाता है।  
पत्रावली निर्णयशुभार एवं न्याय के क्रम  
होकर बाद तब तक आविल इफ्तार को

उपस्थित  
दिनांक